(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अब तक सरकार ने उन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन): (क) से (ग) प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 132 परिवीक्षाधीन उप-निरीक्षक, 1/2 जुलाई, 1995 की रात्रि के दौरान हाजिरी लेने पर उस समय अस्थायी रूप से अनुपस्थित पाए गये थे जब वे अपना कमांडो कैपसूल पाठ्यक्रम कर रहे थे। पूछताछ करने पर पाया गया कि उनमें से 85 वास्तव में साथ के मनोरंजन कक्ष में टेलीविजन पर एक फिल्म देख रहे थे। इन सभी को लिखित रूप में चेतावनी जारी कर दी गई है। परिवीक्षाधीन 47 उप-निरीक्षकों, जो बिना अनुमति के परिसर छोड़कर चले गए थे, में से 43 उप-निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए। तदनुसार, इस सभी 43 उप-निरीक्षकों को परिनिन्दा का दंड दिया गया है। शेष 4 उप-निरीक्षकों की सेवाओं को उनकी अनुपस्थिति के कारण समाप्त कर दिया गया था। तथापि, अनुशासनात्मक अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील किए जाने पर इन चारों को सेवा में पुनः वापस ले लिया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा उठायी गई हानियां

237. **श्री इकबाल सिंह:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम को प्रतिवर्ष भारी वित्तीय हानियां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के प्रथम 9 महीनों के दौरान डी०टी०सी० को कितनी राशि की हानि हुई;

(ग) डी०टी०सी० को प्रतिवर्ष को रही हानि के प्रमुख कारण क्या है;

(घ) क्या सरकार इन वित्तीय हानियों को देखते हुए डी०टी०सी० के अनावश्यक प्रशासनिक व्यय में कमी करने तथा उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० राजशेखर मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

(करोड़ रु०)

वर्ष	कार्यशीलघाटा (ब्याज और मूल्य ह्रास को छोड़कर)	कुल घाटा (ब्याज और मूल्यह्रास सहित)
1993-94	83.60	281.84
1994-95	68.27	307.04
1995-96 (दिसम्बर, 95 तक)	68.61	299.70

(ग) दिल्ली परिवहन निगम को घाटा निम्न किराए ढांचे, प्रचालन की बढ़ती लागत, फालतू स्टाफ और सामाजिक दायित्व आदि के कारण हो रहा है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(i) दि०प०नि० के फालतू स्टाफ को कम करने के लिए इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम शुरू करना।

(ii) दि०प०नि० के किराए ढांचे को दि० 21.6.94 से युक्तिसंगत बनाना।

(iii) जनशक्ति अनुपात में कमी।

(iv) भर्ती पर प्रतिबंध।

(v) घाटे वाले और लाभ वाले रूटों का सतत् रूप से वास्तविक संतुलन बनाया जा रहा है।

Sanction of Telephones on the Recommendations of M.P.s

238. SHRI SHIV CHARAN SINGH: will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the recommendations of MPs for Sanction of Telephone connections on an out of turn